

खातिब  
28.11.2024

फर्द अहकाम # 2024/195

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
रामकुमार बनाम विधादेवी आदि  
वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 2/18 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
23.05.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 24.06.2024 को पेश हो।</p> <p>o n</p>	
24.06.2024	<p>कुलार् ए. ए. ए. उपास्थत/PU माह 31 पर्यंत पेश है। पत्रावली <u>इकरी</u> गस्त <u>वकी</u> दिनक <u>29.11.2024</u> का पेश हो <u>इकरी</u></p>	
28.08.2024	<p>वकील वकी 34/कि.पत्र। मुत्त. सम्मन पेश होने पर प्रतिवादीगण की तरफ की जरिये रजि. सम्मन से की जाकर पत्रावली करी-दा गरी 05.11.2024 को पेश हो।</p> <p>o n</p>	
5.11.2024	<p>कुलार् ए. ए. ए. उपास्थत/PU माह 31 पर्यंत पेश है। पत्रावली <u>इकरी</u> गस्त <u>वकी</u> दिनक <u>31.12.2024</u> का पेश हो <u>इकरी</u></p>	
28.11.2024	<p>वकील वकी ने धारणा-पत्र मित्राल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिपा गया वकील वकी ने निवेदन किया कि वह जद-का आगे नही चलाना चाहता है। जो पूरा रिचर्च में धारणा करवाना चाहता है। इस जद. पर जो पूरा रि. पत्र में धारणा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर काउ लरगीव वकील जाकर हाखिल फलत हो।</p> <p>o n</p>	<p>इस पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। रामकुमार पु. उ. उ. 28/11/24</p>

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर